



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
नयी विरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
(Accredited by NAAC with Grade A+)
दूरभाष (07752) 240702, 240712



क/193/अक/न.ए./बैठक/2026,

बिलासपुर, दिनांक 16 /05/2026

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्यापरिषद् की 54 वीं नियमित बैठक दिनांक 16/05/2026, दिन – शनिवार दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. प्रो. वीरेन्द्र कुमार सारस्वत, — अध्यक्ष
माननीय कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. मिलिंद दाण्डेकर, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
माननीय कुलपति
म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय
3. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
4. प्रो. रक्षा सिंह, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
इंदिरागांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, अनुपपुर
5. प्रो. रेखा शर्मा सेन, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
सत्त शिक्षा स्कूल,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
6. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक हिन्दी विभाग
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 7. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव,
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान विभाग,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | सदस्य |
| 8. | डॉ. पुष्कर दुबे,
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन विभाग,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - सदस्य |
| 9. | डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी,
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य विभाग
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - सदस्य |
| 10. | श्री चन्द्रभूषण मिश्र,
कुलसचिव,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - सदस्य सचिव |

विद्यापरिषद् के निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष/विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | प्रो. विवेक कुमार,
आई.आई.टी. दिल्ली | - सदस्य |
| 2. | संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.) | - सदस्य |
| 3. | क्षेत्रीय निदेशक,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - सदस्य |


अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु बैठक में रख कर निर्णय लिया गया-

प्रस्ताव क्र. 01 - विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की 53 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन विषयक।

निर्णय - विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की 53 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवम् पालन प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान करते हुए अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही - अकादमी विभाग





प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर सत्र जनवरी-दिसम्बर 2026 विषयक।
निर्णय – विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर सत्र जनवरी-दिसम्बर 2026 का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के शुल्क में वृद्धि विषयक।
निर्णय – द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग/शिक्षा विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अतर्गत बी.एस.सी. (जीव विज्ञान), बी.एस.सी. (गणित) एवं बी.ए. पाठ्यक्रमों को त्रिवर्षीय सेमेस्टर प्रणाली में संचालित किए जाने संबंधी।

निर्णय – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अतर्गत बी.एस.सी. (जीव विज्ञान), बी.एस.सी. (गणित) एवं बी.ए. पाठ्यक्रमों को त्रिवर्षीय सेमेस्टर प्रणाली में संचालित करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – CIQA विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – UGC (SWAYAM) Regulation, 2021 को अंगीकृत करने तथा SWAYAM प्लेटफार्म के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय – UGC (SWAYAM) Regulation, 2021 को अंगीकृत करने तथा SWAYAM प्लेटफार्म के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – CIQA विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय को UGC द्वारा 10 ऑनलाईन पाठ्यक्रमों की सूचना तथा अन्य नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय को UGC द्वारा अनुमत 10 ऑनलाईन पाठ्यक्रमों की सूचना ग्रहण की गई तथा अन्य नवीन पाठ्यक्रम यथा एम.एस.सी. (जुलॉजी, बॉटनी) 68 सर्टीफिकेट एवं 32 डिप्लोमा कोर्सेस प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग/ CIQA विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – Online Programmes के शुल्क निर्धारण पर विचार।

निर्णय – Online Programmes के प्रस्तावित शुल्क का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – यू.जी.सी.–डी.ई.बी. द्वारा अनुमत ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन पद्धति एवं परीक्षा प्रणाली के अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – यू.जी.सी.–डी.ई.बी. द्वारा अनुमत ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन पद्धति एवं परीक्षा प्रणाली के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – परीक्षा नियंत्रक/ CIQA विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – **MBA and PGDCA Programmes** के प्रवेश (**Pre-Entrance**) प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय – MBA and PGDCA Programmes के प्रवेश (Pre-Entrance) प्रक्रिया पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. MBA एवं PGDCA पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट के आधार पर सीधे (Direct Admission) प्रदान किया जाये।
2. यदि किसी सत्र में प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या स्वीकृत सीटों की संख्या से दो गुना या अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में Pre-Entrance आयोजित किया जाये। यह नियम विश्वविद्यालय के उन सभी पाठ्यक्रमों जिनमें सीट निर्धारित है उनमें लागू होगा।
3. अन्यथा राज्य शासन/यूजीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश लागू किया जायेगा।

कार्यवाही – CIQA विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – विश्वविद्यालय में पण्डित सुन्दरलाल शर्मा शोधपीठ के विस्तृत प्रारूप (**Detailed Draft**) पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय में पण्डित सुन्दरलाल शर्मा शोधपीठ के विस्तृत प्रारूप (Detailed Draft) में निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया –

1. प्रारूप की कंडिका 7 के 7.1 के बिन्दु क्रमांक 3 में NET/M.Phil./Ph.D. के साथ CG SET/ SLET को भी जोड़े जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्रारूप में कंडिका 10 जोड़ा जाये – शीर्षक “व्यय-भार के अन्तर्गत मानदेय आधार पर प्रस्तावित पदों यथा एक निदेशक, एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का एक परियोजना अन्वेषक एवं दो अनुसंधान सहयोगी की नियुक्ति अनुबंध आधार पर की जायेगी। उक्त पदों एवं शोधपीठ के संचालन संबंधी समस्त व्ययों का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा”

कार्यवाही – CIQA विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के **ODL** एवं **Online mode** में कार्यप्रणाली हेतु तैयार समतुल्यता प्रारूप पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के ODL एवं Online mode में कार्यप्रणाली हेतु प्रस्तावित समतुल्यता प्रारूप की प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – CIQA विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थी श्री केदारनाथ नायक (भूगोल) एवं श्रीमती अंजू खेस (शिक्षा) के पी.एच.डी. नोटिफिकेशन जारी किए जाने संबंधी।
निर्णय – विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थी श्री केदारनाथ नायक (भूगोल) एवं श्रीमती अंजू खेस (शिक्षा) के पी.एच.डी. शोध पंजीयन से लेकर मुल्यांकन तक के कार्यों की विश्वविद्यालय के तत्कालीन अध्यादेश के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए अधिसूचना जारी की जाये।

कार्यवाही – परीक्षा नियंत्रक

प्रस्ताव क्र. 13 – विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 1 **Part-B Doctor of Philosophy** में संशोधन विषयक।

निर्णय – विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 1 Part-B Doctor of Philosophy में निम्नानुसार संशोधन मान्य किया गया –

अध्यादेश क्र.	कॉडिका	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
अध्यादेश क्रमांक 1 Part-B Doctor of Philosophy	4. A.	A. Admission Criteria Based on UGC NET Score: The National Eligibility Test (NET) score will be utilized as a key criterion for admission into the PhD program, carrying a weightage of 70% in the overall selection process. While 30% weightage will be based on the performance of the candidate in the Interview. In the presence of NET qualified candidates the same would be given priority for admission and the university shall not conduct entrance examination for the selection of the candidates.	A. Admission Criteria Based on UGC NET/JRF/SLET/SET Score: 1. The National Eligibility Test (NET/JRF/SLET/SET) score will be utilized as a key criterion for admission into the PhD program, carrying a weightage of 70% in the overall selection process. While 30% weightage will be based on the performance of the candidate in the Interview. In the presence of NET/JRF/SLET/SET qualified candidates the same would be given priority for admission and the university shall not conduct entrance examination for the selection of the candidates. 2. Teacher fellowship holder and regular appointed teacher in university teaching department or affiliated college having completed two years of service, scientist of any recognized national and international institutions having acquired two years of experience shall be exempted from University Entrance Exam.
	4. B.	B. Provision for Conducting University Entrance Examination (PRET): In situations where NET-qualified candidates are not available, the University may conduct an entrance examination once in a year as per decision of the	B. Provision for Conducting University Entrance Examination (PRET): In situations where NET/JRF/SLET/SET qualified candidates are not available, the University may conduct an entrance examination once in a year as per decision of the University, for selecting

		University, for selecting candidates followed by an interview. However, in the presence of candidates who have qualified the State Eligibility Test (SET), they shall be given priority over those who are selected through the University's entrance examination.	candidates, followed by an interview.
	4.B.	<p>अध्यादेश क्रमांक 1 Part-B Doctor of Philosophy कंडिका 4.B. के बिन्दु क्रमांक</p> <p>(i) An Entrance Test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. A relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS) and other categories candidates as per the decision of UGC from time to time. The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The validity of eligibility will be for two consecutive years.</p> <p>(ii) An interview shall be organized where the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before DRC. The interview shall also consider the following aspects, viz. whether: a) The candidate possesses the competence for the proposed research; b) The proposed area of research can contribute to new knowledge.</p> <p>(iii) For selection of Candidates a Weightage of 70% to entrance test and 30% to the performance in the Interview shall be given. यथावत लागू रहेंगे।</p>	


कार्यवाही – CIQA विभाग/अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु पब्लिक/प्राइवेट प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाये लिये जाने पर विचार विषयक।

निर्णय – विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु पब्लिक/प्राइवेट प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाये लिये जाने संबंधी योजना मंडल की 18 वीं बैठक में अनुशंसित प्रस्ताव क्रमांक 02 को निम्नानुसार मान्य किया गया –

1. विश्वविद्यालय के संसाधनों (भौतिक/मानव संसाधन), प्रशासनिक कार्यों तथा अकादमिक कार्यों को अधिक प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु आई.आई.एम./आई.आई.टी. से कंसल्टेंसी सेवाएं ली जाये। इसके लिये उपयुक्त सेवा शुल्क प्रदान किया जाये।
2. विश्वविद्यालय के नये व वर्तमान अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) प्रारूप का अनुमोदन किया गया तथा भविष्य में आवश्यकताओं के अनुरूप SOP में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु माननीय कुलपति महोदय जी को अधिकृत किया गया।







3. Skill Based Certificate/Diploma Courses के लिए पाठ्यक्रम/ पाठ्यपत्र प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़कर सवालिया करने की स्वीकृति दी गई एवं Revenue Sharing Basis पर शरण न विश्वविद्यालय के विभागों को व्यापक में रखते हुए कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही - क्षेत्रीय सेवा प्रभाग अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुमोदन


(चन्द्रभूषण मिश्र)
कुलसचिव/सचिव


(वीरेन्द्र कुमार सारस्वत)
कुलपति/अध्यक्ष


पृ.क्रं. 1994 / अका. / वि.प. / बैठक / 2026,

बिलासपुर, दिनांक 16/05/2026

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
 - 2.1 प्रो. मिलिंद दाण्डेकर, माननीय कुलपति, म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय (म.प्र.)
 - 2.2 प्रो. विवेक कुमार, आई.आई.टी. दिल्ली
 - 2.3 डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, आयुक्त के नामिनी, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 2.4 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.5 प्रो. रेखा शर्मा सेन, सत्त शिक्षा स्कूल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
 - 2.6 प्रो. रक्षा सिंह, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, अनुपपुर।
 - 2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
 - 2.8 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, प्राध्यापक हिन्दी विभाग, PSSOU
 - 2.9 डॉ. एस. रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
 - 2.10 डॉ. पुष्कर दुबे, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्रबंधन विभाग, PSSOU
 - 2.11 डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

4. को कार्यवाही-विवरण के परिपालन में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, अकादमी विभाग कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्यापरिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
6. नस्ती हेतु।


कुलसचिव